16-01-2024

**सरवर बनाम सरकार**

राजकीय अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 15–02–2021 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सीलिंग एक्ट के तहत पारित किया गया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं होकर सीलिंग एक्ट के तहत सुनवाई की शक्तियॉ न्यायालय जिला कलेक्टर को प्राप्त होने के कारण प्रकरण में क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं की जा सकती।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया अपीलाधीन आदेश की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। इसी कम में न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दर्ज रजिस्टर करते हुए पूर्व में स्थगन आदेश प्रदान किया गया था। पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर जैरकार है, ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपील को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–02–2021 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अपील के साथ संलग्न अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् के धारण की भूमि के संबंध में सीलिंग एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सीलिंग नियमों के तहत पारित किया गया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं होने व सिलिंग प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलेक्टर, को प्राप्त होने के कारण पत्रावली संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। अपीलांट् समक्ष न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति रिकार्ड में सुरक्षित रखते हुए पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर